फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

भगवानसहाय बनाम कमलसिंह वगै0

किस्म मुकदमा– दावा उदघोषणा एवं स्थायी निषे0 मु0नं0– 15/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अ0धा0 आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का गौर किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार गुप्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 1.4300 है0 वाके रामा अगावली तहसील बहरावण्डा में स्थित है जो कि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रही है तथा प्रकरण में वादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा वादीगण द्वारा लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग की है जो कि रा0का0अ0 की धारा 42बी के विरूद्ध है तथा वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 16 एवं 19 में कथन अंकित किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों को आवंटित हुई है यदि आवंटन गलत है तो वादीगण सक्षम न्यायालय में अपील करें। इसलिए प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जावे। वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री छोटेलाल मीना ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि पर वादीगण का लम्बे समय से उनके पूर्वजों के समय से ही कब्जा है एवं भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है प्रतिवादीगण का विवादित भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किया जावे। उभयपक्ष के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 1.4300 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 178 रहे है, प्रतिवादीगण के पूर्वजों का आवंटित होना उभयपक्षों ने स्वीकार किया है। तथा वर्तमान में उक्त आवंटन के आधार पर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। वादीगण द्वारा बुजुर्गान के समय से कब्जे के आधार पर उद्घोषणा चाही गई है जो कि काश्तकारी अधिनियमों के अनुसार नहीं है। तथा आवंटन के संबंध में यदि वादीगण को कोई आपत्ति है तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश कर अनुतोष प्राप्त करें। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	